फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

जगदीश बनाम चन्दो वगैरा

अपील इंतकाल प्रकरण सं. 56/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
03.07.17	अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील में मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड एवं रेस्पोडेन्टस को तलब किया जावे। स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलांट के अधिवक्ता को सुना गया। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में कहा है कि चक 7 डी बड़ी तहसील श्री गंगानगर के खाता 51/52 में मु0 नं0 25 में 3.062 है0 रकबा एवं मु0 26 में 0.126 है0 तथा खाता सं0 67/09 में 0.076 है0 नहरी रकबा 30 वर्ष से लगातार कब्जा काश्त में है तथा मौके पर आज भी कब्जा उनका है। खातेदारी की घोषणा कराने का वाद खारिज हो गया है लेकिन जमीन का कब्जा आज भी उनके पास है। राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील विचाराधीन है। हरचन्द का देहान्त वर्ष 1948 में हो गया है। वर्ष 1948 के बाद अब विधिक उतराधिकारियों के नाम इंतकाल दर्ज किया गया है। मूल खातेदार के अधिकार समाप्त हो गये हैं इसलिए उतराधिकारियों का हक व हिस्सा नहीं रहता है। रेस्पोडेन्ट विवादित भूमि को बेचान करने की फिराक में है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रहन,बैय एवं हस्तान्तरण से पाबन्द किया जावे। अपने तर्को के समर्थन में आर आर टी 2003(2) पेज 886, आर आर टी 2008 (1) पेज 228, आर आर टी 2005 (1) पेज 665 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये हैं। वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन इंतकाल सं0 510 ग्राम 7 डी बड़ी पटवार हल्का मदेंरा खातेदार हरचन्द के देहान्त के बाद विरासतन दर्ज कर स्वीकृत किया गया है। इंतकाल राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार, 2017 कैम्प में पारित किया गया है। विरासतन इंतकाल पर एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः रेस्पोडेन्टस की तलबी उपरांत दोनों पक्षों को सुनकर गुणदोष के आधार पर स्थगन प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित किया जायेगा। पत्रावली दिनांक 13–7–17 को पेश हो।	
13.07.17	अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पो० को सम्मन जारी कर तामील करें। रिकॉर्ड तलब कर पत्रावली दिनांक 27.7.17 को पेश हो।	(18) N.J. with (5) नकल 1860-61 13.07.17
27.07.17	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे है। पीठासीन अधिकारी प्रशा. कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 16.8.17 को पेश हो।	

Scanned with OKEN Scanner

23/9/25 अपीलार्ट अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते पेश सम्मन तलबाना दिनांक 04/11/25 को पेश हो।

5.11.2025 अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित / अधिवक्ता अपीलान्ट को सम्मन तलबाना पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 16.12.2025 को पेश हो।

16.12.25 अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। पत्रावली वास्ते पेश सम्मन तलबाना दिनांक 17.02.26 को पेश हो।

17/2/26 पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश-स्थान पर~~ प्रशासनिक
कार्य में व्यस्त है। पक्षकारान के अभिभाषक उपस्थित
है पत्रावली दिनांक 15/4/26 को पेश हो।

15/4/26 अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर कर निवेदन किया कि उपरोक्त शीर्षक की अपील माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जो तलबी हेतु नियत है, उक्त प्रकरण में पक्षकारान का आपसी में राजीनामा हो गया है, इस कारण अपीलार्थी के अधिवक्ता ने नोटप्रैस कर उक्त अपील में आगे कार्यवाही नहीं करने का निवेदन किया। अतः अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा नोटप्रैस करने के कारण हस्तगत अपील इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को भेजी जावे एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

N.P.AS 15/4

आदेश सुनाया गया।

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर